राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2017/1773 दिनांक 18/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व वाद सं. 134/2014 अनवान नीम्बाराम वगैरा बनाम हनुमानराम वगैरा में पारित निर्णय पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 15.07.2017 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर
चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 134/2014

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ.

अनवान वादीगण– 1.नीम्बाराम 2.सोनाराम 3.हीराराम 4.पूनमाराम
पि. भीखाराम, जाति जाट
निवासी तरड़ों का तला(बिसारणिया)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.हनुमान उर्फ बाबू पुत्र तोगाराम 2.श्रवणकुमार
3.नारणाराम पि.तोगाराम 4.कमला पत्नि हनुमानराम 5.कमलादेवी
पत्नि नारणाराम, जाति जाट
निवासी तरड़ों का तला (बिसारणिया)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री सुनील मेराजा**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री बाबूलाल जाणी**

निर्णय

दिनांक :– 15.07.2017

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त व सामलाती खातेदारी की भूमि मौजा तरड़ों का तला, पटवार क्षेत्र बिसारणिया, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1168/1095 रकबा 12.03 बीघा, खसरा सं. 1172/1099 रकबा 14.12 बीघा, कुल रकबा 26.15 बीघा का आया हुआ है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि थी। जो करीब 10 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से बंटवाड़ा होकर वादीगण को प्राप्त हुई। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अलग अलग तरमीम की गई। वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि को हड़पना चाहते है। इसलिए वादगीण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादीगण के मौजा तरड़ों का तला, पटवार क्षेत्र बिसारणिया, तहसील चौहटन में

खसरा सं. 1168/1095 रकबा 12.03 बीघा, खसरा सं. 1172/1099 रकबा 14.12 बीघा, कुल रकबा 26.15 बीघा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन, बाधा कारित न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। जिसे हेतु वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता बाबूलाला जाणी ने वकालतनामा पेश किया। जो पत्रावली शामिल किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प सेड़वा में दिनांक 15.07.2017 को पेश हुई। वादीगण की ओर से वादी सं. 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित हुए । उपस्थित पक्षकारों को सुना गया।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली में पेश समस्त दस्तावेजों, साक्ष्यों, सबूतों का गहन अध्ययन/अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **तरड़ों का तला, पटवार क्षेत्र बिसारणिया, तहसील चौहटन के खसरा सं. 1168/1095 रकबा 12.03 बीघा तथा खसरा सं. 1172/1099 रकबा 14.12 बीघा, कुल रकबा 26.15 का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेशों तक प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के उपरोक्त वादग्रस्त खसरों मौके एवं कब्जा काश्त की यथास्थिति बनाये रखने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार चौहटन को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।**

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.17 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 की न्यायालय कैम्प सेड़वा मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास *श्री भागीरथराम आर.ए.एस.*

1.नीम्बाराम 2.सोनाराम 3.हीराराम 4.पूनमाराम
पि. भीखाराम, जाति जाट
निवासी तरड़ों का तला(बिसारणिया)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

1.हनुमान उर्फ बाबू पुत्र तोगाराम
2.श्रवणकुमार 3.नारणाराम पि.तोगाराम
4.कमला पत्नि हनुमानराम 5.कमलादेवी
पत्नि नारणाराम, जाति जाट
निवासी तरड़ों का तला (बिसारणिया)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

वाद बाबत 188 RT Act.

मुकदमा नं. 134/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री सुनील मेराजा** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री बाबूलाल जाणी** एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा तरड़ों का तला, पटवार क्षेत्र बिसारणिया, तहसील चौहटन के खसरा सं. 1168/1095 रकबा 12.03 बीघा तथा खसरा सं. 1172/1099 रकबा 14.12 बीघा, कुल रकबा 26.15 का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेशों तक प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के उपरोक्त वादग्रस्त खसरों मौके एवं कब्जा काश्त की यथास्थिति बनाये रखने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार चौहटन को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।** .... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/2/17 को जारी की गई।

दस्तखत.........................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

सहायक कलक्टर
चौहटन